

PORTAL

2019/00048  
सरवरक  
(कायदा-129)

6-4-2018  
29/6/18  
12-7-18  
2-11-18  
18/11/18  
3/4/18

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म 1	मुकदमा नम्बर 2	मुकदमा तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला नम्बर 5
212 R.T.M	68/2015	19/7/15	05-06 2018 पुनराविचार	3/10/17 17/02/18 11-4-2018 25/6/18

अनवान

श्री लालु सिंह लक्ष्मण शिवा श्री मदन सिंह शारदा शिवा  
निवासी सुसात निवासी सुसात

S. N. Shrivastava  
अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/अपीलान्त/

डिकीदार

S. G. Shrivastava  
अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पाडेन्ट/

नदयूनान

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

APP-A  
Crimes

पुकारा 31. 5. 2018  
 वनाम जे. के.  
 नं. 162  
 सन 2018

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	मध्यम य तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
2017	<p>प्रायतः परां हुई। अभिभाषक 5044497          जे. के. ए. सिपव चाली है पत्रावली वाक          दिनांक 17/1/2018 का पत्र हो</p>	
17-1-2018	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि. वादी परिवर्तनी उपरिचत          पीठासीन अधिकारी जे. के. ए. सिपव चाली है।          पत्रावली वास्तु 17-1-2018 आगन्दा दिनांक 17-1-2018</p>	
11-1-18	<p>पत्रावली परां हुई। अभिभाषक 3044497          जे. के. ए. सिपव चाली है पत्रावली वाक          दिनांक 25/6/18 का पत्र हो</p>	
05-08-2018	<p>पत्रावली न्याय आपने हर डेपे सुगास पर फेका हुई          अशिक्षासु उअथपका कर्पासुत। क रकील अफीने          अरुणा पत्र में कंठित कलम 100 1 के उपनरण          अ, ब, स, द में कर्षित आरक्षिगत में सुलषण          के निरन्तरण नक रहन सिद्ध नही वरै, एवं          अशिक्षासु उअथपका कर्पासुत - अपने हिसते पर कलम          कलम में सुलषांवाजी नही हुई। कलम पर          हेतु उअथपका कलम अरु पाकंड अपने हे अस्फर          निरक्षिवाजा पर केनी पथी डार अरु अरुनी - अरुनी          एतयादि की गई।          अरु: अशिक्षासु उअथपका कर्पासुत के सुलषांवा          आधार पर अरु कर्पासुत डिया जाता है हे अरु          के अरुणा स. 1 में उपनरण अ, ब, स, ए वं          द में कर्षित आरक्षिगत में सुलषांवा के          निरन्तरण नक उअथपका कलम अरु कलम आकंड          के अस्थानी निरक्षिवाजा की पाकंड डिया जाता</p>	<p>जे. के. ए.          सिपव</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

है कि यह उपर आरक्षण में राज  
के कि कि असादिपति समावे रम्येगी क एउ  
इसके के कर्मी कारन में कर्मात्ता जे  
कीगे क प्रोवली कसल शूगाव लेवत नशवा के  
कम लगे ७७-१९ मूलकाड के साथ लीकनले

४

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़